प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 192/2007

याचिकाकर्ता - संजीत पाल, पिता वीरेन्द्र कुमार पाल,
आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम संकरा बंगला,
थाना बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी,
थाना धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 193/2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता - संजीत पाल, पिता वीरेन्द्र कुमार पाल,
आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम संकरा बंगला,
थाना बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी,
थाना धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका

उपस्थितिः-

श्री उत्तम पांडे, अधिवक्ता दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, पैनल अधिवक्ता दोनों याचिकाओं में राज्य की ओर से ।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 19.07.2007)

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

दोनों पक्षकारों की सहमति से अंतिम रूप से सुना गया।

निम्नानुसार साझा आदेश पारित किया जाता है:

> "विचारण हेतु एक संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है कि क्या एक ही दिन दो भिन्न दांडिक प्रकरणों में एकमात्र अभियुक्त को दिए गए दंड, जब निर्णयों में इस संबंध में कोई निर्देश न हो तथा इस बिंदु पर कोई उल्लेख न हों, तो वे दंड उसके द्वारा एक साथ या क्रमिक रूप से भुगताये जाएंगे ?"

याचिकाकर्ता संजीत पाल दो अलग-अलग अपराध क्रमांकों, अर्थात् अपराध क्रमांक 152/1993 एवं 155/1993 में अभियुक्त था तथा उसके विरुद्ध दो पृथक अभियोग-पत्र प्रस्तुत किए गए। दांडिक प्रकरण क्रमांक 948/1999, अपराध क्रमांक 152/1993 से संबंधित है, जबकि दांडिक प्रकरण क्रमांक 949/1999, अपराध क्रमांक 155/1993 से संबंधित है। इन दोनों दांडिक प्रकरणों में याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 468 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा प्रत्येक आरोप पर 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड के भुगतान न करने की स्थिति में 2-2 माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि दंड समवर्ती रूप से चलेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ये दोनों निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी द्वारा दिनांक 22.08.2000 को, दो पृथक दांडिक विचारणों के उपरांत पारित किए गए। उक्त दोनों निर्णयों, अर्थात् दांडिक प्रकरण क्रमांक 948/1999 तथा दांडिक प्रकरण क्रमांक 949/1999 में पारित निर्णयों के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने दो पृथक दांडिक अपीलें प्रस्तुत कीं। दांडिक प्रकरण क्रमांक 948/1999 से संबंधित अपील दांडिक प्रकरण क्रमांक 26/2000 के रूप में तथा अन्य प्रकरण क्रमांक 949/1999 से संबंधित अपील दांडिक प्रकरण क्रमांक 27/2000 के रूप में दायर की गई।

इन दोनों अपीलों की भी पृथक-पृथक सुनवाई की गई और उनका निर्णय दिनांक 27.01.2005 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा दो अलग-अलग निर्णयों के

माध्यम से किया गया। संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों अपीलों को निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की। अर्थात्, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश यथावत् बने रहे और अपीलीय न्यायालय द्वारा उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त दोनों दांडिक प्रकरणों तथा तत्पश्चात दो पृथक दांडिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दंड भुगतने हेतु जेल भेजा गया। प्रत्येक प्रकरण में 2-2 वर्ष के दंड, जो उस-उस प्रकरण में समवर्ती रूप से चलने थे, पूर्ण करने के पश्चात भी जब याचिकाकर्ता को अंतिम रूप से रिहा नहीं किया गया, तब उसने आवश्यक निर्देश प्राप्त करने तथा अंतिम रिहाई के लिए इस न्यायालय के समक्ष ये याचिकाएँ प्रस्तुत कीं। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि उसके विरुद्ध चले दोनों आपराधिक विचारणों की परिस्थितियों में दोनों प्रकरणों की सजाएँ भी समवर्ती रूप से चलनी चाहिए थीं और 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर उसे दोनों प्रकरणों में अंतिम रूप से रिहा कर दिया जाना चाहिए था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसके विपरीत, जेल प्राधिकारियों ने उसे रिहा नहीं किया, यह कहते हुए कि दोनों दांडिक प्रकरणों में पुष्टि की गई सजाएँ क्रमिक रूप से भुगतनी होंगी। अतः पृथक-पृथक निर्णयों में प्रदान की गई सजा के अनुसार, समवर्ती चलने की सुविधा तथा समायोजन देने के पश्चात भी उसे अतिरिक्त 2 वर्ष की अवधि तक और निरुद्ध रखा जाना आवश्यक है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह निवेदन है कि चूँकि दोनों दांडिक प्रकरणों में सजाएँ एक ही दिन दी गई थीं तथा अपीलों का भी निर्णय एक ही दिन किया गया था, इसलिए दोनों प्रकरणों की सजाएँ समवर्ती रूप से चलनी चाहिए थीं और याचिकाकर्ता को 26.01.2007 को, जो उसकी 2 वर्ष की सजा पूर्ण होने की तिथि है, दोनों प्रकरणों में रिहा कर दिया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ***मोहम्मद अख्तर हुसैन उर्फ इब्राहिम अहमद भट्टी बनाम सहायक आयुक्त, कस्टम (निवारण), अहमदाबाद एवं अन्य*, 1988 (3) क्राइम पृष्ठ 291**, का उल्लेख किया।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से अधिवक्ता का यह निवेदन है कि चूँकि विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोनों पृथक निर्णयों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, अतः सजाएँ क्रमिक रूप से चलेंगी और एक प्रकरण में दी गई सजा पूर्ण होने पर याचिकाकर्ता को रिहा न करने में राज्य की कोई त्रुटि नहीं है।

मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा दोनों आपराधिक विविध याचिकाओं के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

जहाँ तक प्रकरण के तथ्यात्मक पक्ष का संबंध है, दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा इसका विवाद नहीं किया गया है। अतः यह निर्विवाद स्थिति है कि याचिकाकर्ता को दो भिन्न अपराध क्रमांकों में गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध थाना में दो अलग-अलग अपराध क्रमांक, अर्थात् अपराध क्रमांक 152/1993 एवं 155/1993, में दो पृथक दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इन प्रकरणों में दो पृथक अभियोग-पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर दो अलग-अलग दांडिक प्रकरण क्रमांक 948/1999 एवं 949/1999 के रूप में विचारण किया गया और उनमें दो पृथक निर्णय पारित किए गए।

तत्पश्चात, इन दोनों निर्णयों के विरुद्ध दो पृथक अपीलें प्रस्तुत की गईं, जिन्हें अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दो अलग-अलग निर्णयों के माध्यम से अपास्त कर दिया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 उस स्थिति से संबंधित है, जब कोई अपराधी पहले से किसी अन्य अपराध के लिए दंड भुगत रहा हो।

उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति, जो पहले से कारावास का दंड भुगत रहा है, किसी अन्य अपराध में बाद में दोषसिद्ध होकर पुनः कारावास या आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है, तो ऐसा दंड पूर्ववर्ती दंड की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रारंभ होगी, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती सजा पूर्व सजा के साथ समवर्ती रूप से चलेगी।

इसके साथ एक उपबंध भी है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 122 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान न करने के कारण कारावास की सजा भोग रहा है और उसी अवधि के दौरान उसे ऐसे अपराध के लिए, जो उक्त आदेश से पूर्व किया गया था, कारावास की सजा दी जाती है, तो पश्चातवर्ती सजा तत्काल प्रभाव से प्रारंभ होगी।

उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति, जो पहले से आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है, किसी अन्य अपराध में पुनः किसी निश्चित अवधि के कारावास या आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है, तो पश्चातवर्ती सजा पूर्ववर्ती सजा के साथ समवर्ती रूप से चलेगी।

इस धारा के प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *मोहम्मद अख्तर हुसैन (पूर्वोक्त)* के प्रकरण में विचार किया गया है, जिसमें न्यायालय ने कंडिका 5 में यह कहा कि यह धारा आपराधिक न्याय के प्रशासन से संबंधित है और दंड निर्धारण की प्रक्रिया प्रदान करती है। अतः दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे और उपयुक्त आदेश दे कि पश्चातवर्ती प्रकरण में दी गई सजा किस प्रकार चलेगी—क्या वह समवर्ती होगी या क्रमिक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि समय के साथ एक मूलभूत सिद्धांत विकसित हुआ है, जिसे तथाकथित "एकल संव्यवहार नियम" कहा जाता है, जो समवर्ती सजाओं के संबंध में लागू होता है। यदि किसी एक ही घटना/ संव्यवहार से दो अलग-अलग अधिनियमों के अंतर्गत दो अपराध बनते हैं, तो सामान्यतः क्रमिक सजाएँ देना उचित नहीं होता, बल्कि समवर्ती सजाएँ देना ही उचित एवं न्यायसंगत होता है।

किन्तु यह सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होता, जहाँ अपराध से संबंधित घटनाएँ एक ही नहीं हैं या दोनों अपराधों के तथ्य भिन्न-भिन्न हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *मोहम्मद अख्तर हुसैन* के प्रकरण में दिया गया निर्णय ऐसे मामले से संबंधित था, जिसमें एक ही व्यक्ति के विरुद्ध दो भिन्न अपराध पंजीबद्ध किए

गए थे। इनमें से पहले मामले में उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा दी जा चुकी थी और वह उसे भोग रहा था, जबकि दूसरे मामले में, पूर्व सजा को ध्यान में रखते हुए, उसे कम अवधि की सजा दी गई थी, जिसे राज्य तथा अभियुक्त—दोनों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय में अभियुक्त ने यह आग्रह किया कि सजा समवर्ती रूप से चलनी चाहिए, जबकि राज्य ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने राज्य की अपील स्वीकार करते हुए सजा को 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया और उसे क्रमिक रूप से चलने का निर्देश दिया।

इसी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहाँ उक्त निर्णय पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के गुण-दोष पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनः स्थापित कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में सहायक नहीं है। उस निर्णय का प्रतिपाद्य इस बिंदु पर नहीं है कि यदि दो अलग-अलग प्रकरणों में पृथक रूप से सजाएँ दी गई हों और उनके क्रियान्वयन के संबंध में कोई निर्देश न दिया गया हो, तो वे अनिवार्य रूप से समवर्ती रूप से ही चलेंगी।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का मामला इस दृष्टि से भी भिन्न है कि उक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि सजाएँ किस प्रकार चलेंगी, जबकि वर्तमान प्रकरण के निर्णय में ऐसा कोई निर्देश नहीं है और इस बिंदु पर कोई उल्लेख नहीं है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं— *"जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दंड पूर्ववर्ती दंड के साथ समवर्ती रूप से चलेगी"*। इसका आवश्यक अभिप्राय यह है कि यदि किसी अभियुक्त को दो भिन्न दांडिक प्रकरणों में

अलग-अलग सजाएँ दी गई हों और निर्णयों में इस संबंध में कोई निर्देश न दिया गया हो कि वे सजाएँ किस प्रकार भुगती जाएँगी—अर्थात् समवर्ती या क्रमिक—तो आवश्यक निष्कर्ष यह होगा कि वे सजाएँ क्रमिक रूप से ही चलेंगी, न कि समवर्ती रूप से।

इस चरण पर श्री पांडे ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 427 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान उस स्थिति पर लागू होता है जहाँ पश्चातवर्ती दोषसिद्धि हो, जैसा कि धारा के प्रारंभिक भाग में अभिप्रेत है, परंतु जब दोषसिद्धियाँ एक ही समय पर होती हैं, तब धारा के उत्तरार्द्ध में निहित न्यायालय के निर्देश संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क भ्रामक प्रतीत होता है। विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्द स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि किसी भी स्थिति में, जब तक न्यायालय द्वारा कोई विशेष निर्देश न दिया जाए, एक सजा दूसरी सजा से पृथक रूप से चलेगी, जो उसी अभियुक्त को किसी अन्य प्रकरण में दी गई है। यह संभव है कि कोई अभियुक्त पहले से सजा भोग रहा हो, अथवा यह भी संभव है कि दो अलग-अलग अपराधों में एक ही दिन एक साथ सजाएँ दी गई हों, किंतु यदि न्यायालय ने स्वयं इस तथ्य पर विचार करते हुए दोनों सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश नहीं दिया है, तो सजाएँ पृथक (क्रमिक) रूप से ही चलेंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह तथ्य कि दोषसिद्धियाँ एक ही दिन एक साथ हुईं, धारा 427(1) के उत्तरार्द्ध के प्रावधानों के अनुप्रयोग में बाधा नहीं बनता। इसका कारण यह है कि विधिक दृष्टि से, ऐसे मामलों में भी—जहाँ निर्णय एक साथ दिए गए हों—किसी न किसी अर्थ में एक दोषसिद्धि दूसरी के पश्चात मानी जाएगी, जब तक कि इस संबंध में कोई विशेष वैधानिक प्रावधान न हो।

इस संदर्भ में धारा 429(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता का भी उल्लेख आवश्यक है, जो एक संरक्षण प्रावधान है और यह कहता है कि धारा 426 या 427 में निहित कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को उसकी पूर्व या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी दंड के किसी भाग से मुक्त नहीं करेगा।

उपरोक्त चर्चा तथा *मोहम्मद अख्तर हुसैन* के प्रकरण में की गई टिप्पणियों के आलोक में, मुझे इन दोनों याचिकाओं में कोई सार नहीं दिखाई देता। याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित दो पृथक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के प्रावधानों के प्रकाश में, याचिकाकर्ता के पक्ष में अपेक्षित निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।

अतः प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर यह दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में सजाएँ क्रमिक रूप से ही भुगताई जाएँगी।

ये याचिकाएँ भ्रामक हैं, और तदनुसार इन्हें खारिज किया जाता है।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**